रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 16 जून, 1998/26 ज्येष्ठ, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जून, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) बी0 (16) 12/98.—"दि हिमाचल प्रदेश न्यू मण्डी टाऊनशिप (डिवैलपमैंट एण्ड रैगूलेशन) ऐक्ट, 1973 (1973 का 18)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के तारीख 9 जून, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित

2024-राजपत्र/98-16-6-98—1,288. (2183) मूल्य: 1 रुपया।

किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (प्रामाणिक पाठ) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश नए मण्डी नगर क्षेत्र (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1973

(1973 का 18)

(28-6-1973 को राज्यपाल द्वारा अनुमत)

(31-1-1998 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में नए मण्डी नगर क्षेत्रों के विकास और विनियमन का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नए मण्डी नगर क्षेत्र (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1973 है ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "प्रशासक" से इस अधिनियम के अधीन प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "सुखसुविधा" के अन्तर्गत, सड़कें, जल प्रदाय, मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था, जल निकास, मल निकास, पशुओं के लिए सायबान, भाण्डागार, सार्वजनिक शौचालय, स्नानगृह, सार्वजनिक निर्माण, बागबानी, भूदृष्य, बच्चों के पार्क, लान और खेलने के मैदान और कोई अन्य लोकोपयोगी सेवा जो विहित की जाए, है;

(ग) "निर्माण" से कोई सन्निर्माण या किसी सन्निर्माण का कोई भाग, जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु आशयित है, चाहे वह वास्तविक प्रयोग में है अथवा नहीं, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई बाह्य गृह, संरचना, अस्तबल, पशुओं के लिए सायबान, गैरेज, झोंपड़ी, चबूतरा और कुर्सी (प्लीथ) है;

(घ) "किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण" के अन्तर्गत है :—

(i) किसी निर्माण में तात्विक परिवर्तन या (परिवर्धन);

(ii) किसी ऐसे निर्माण का, जो मूलतः मानवीय निवास के लिए एक स्थान के रूप में सन्निर्मित न हो, संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा मानवीय निवास स्थान में संपरिवर्तन;

(iii) किसी ऐसे निर्माण का जो मूलतः मानवीय निवास के लिए एक स्थान के रूप में सन्निर्मित है, मानवीय निवास के लिए एक से अधिक स्थानों में संपरिवर्तन;

(iv) मानवीय निवास के दो या अधिक स्थानों का ऐसे अधिक स्थानों में संपरिवर्तन;

(v) किसी निर्माण के ऐसे परिवर्तन, जो उसके जल निकास या सफाई व्यवस्थाओं में किसी परिवर्तन को प्रभावित करते हैं या उसकी सुरक्षा को तत्वतः प्रभावित करते हैं;

(vi) किसी निर्माण में किन्हीं कमरों, निर्माणों, बाह्य गृहों या अन्य संरचनाओं का परिवर्धन;

(vii) किसी ऐसी दीवार में, जो किसी सड़क या ऐसी भूमि से लगी हुई हो, जो दीवार के स्वामी की न हो, ऐसी सड़क या भूमि की ओर खुलने वाले किसी दरवाजे का सन्निर्माण;

(viii) किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रलम्बी संरचना का सन्निर्माण अथवा खुल रखे जाने के लिए आशयित किसी स्थान को घेरना ; और

(ix) किसी संरचना के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के लिए भूमि की खुदाई और नींव का सन्निर्माण;

(ङ) "परिवार" के अन्तर्गत पति, पत्नी और उनकी सन्तान है;

(च) "नया मण्डी नगर क्षेत्र" से कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा नया मण्डी नगर क्षेत्र घोषित किया गया है, अभिप्रेत है ;

(छ) "अधिभोगी" से कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत, कोई फर्म या अन्य व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं, जो इस अधिनियम के अधीन अन्तरित किसी स्थल या निर्माण का अधिभोग करता है, अभिप्रेत है, इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "स्थल" से कोई भूमि, जो धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अन्तरित की गई है, अभिप्रेत है; और

(ञ) "अन्तरिती" से कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत, कोई फर्म या अन्य व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति में, कोई स्थल या निर्माण विक्रय किया जाता है, पट्टे पर दिया जाता है या अन्तरित किया जाता है अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं।

राज्य सरकार की नए मण्डी नगर क्षेत्र घोषित करने और उनमें भूमि और निर्माण अन्तरित करने की शक्ति ।

3. (1) राज्य सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नया मंडी नगर क्षेत्र घोषित कर सकेगी, जो ऐसे नाम से ज्ञात होगा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) राज्य सरकार, किसी नए मण्डी नगर क्षेत्र में, राज्य सरकार से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी स्थल या निर्माण को ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे, विक्रय कर सकेगी, पट्टे पर दे सकेगी, या नीलामी द्वारा, आवंटन द्वारा या अन्यथा किसी अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार को उप-धारा (2) के अधीन विक्रय, पट्टे या अन्तरण पर दिए जाने के लिए किसी स्थल या निर्माण पर देय कोई राशि, उस स्थल या निर्माण पर प्रथम प्रभार होगी यद्यपि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक उप-धारा (2) के अधीन ऐसे स्थल

या निर्माण या अन्तरण के मद्दे राज्य सरकार को देय कोई राशि, संदत्त नहीं कर दी जाती तब तक अन्तरिती सिवाय स्थल धारक द्वारा महीने के महीने पट्टे पर देने के उप-धारा (2) के अधीन उसे अन्तरित स्थल या निर्माण के विक्रय पट्टे पर देने या अन्य विधि से अधिकार, हक और हित का अन्तरण करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि इस उप-धारा में वर्णित प्रथम प्रभार की राशि पूरी तरह संदत्त नहीं कर दी जाती ।

भूखण्ड क्रय करने पर वर्जन ।

4. एक परिवार को, दो से अधिक स्थल, विक्रय नहीं किए जाएंगे, पट्टे पर नहीं दिए जाएंगे या अन्यथा अन्तरित नहीं किए जाएंगे ।

निर्माण नियमों के उल्लंघन में, निर्माणों के परिनिर्माण या परिवर्तन का वर्जन ।

5. (1) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (2) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में और प्रशासक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, किसी निर्माण का पूर्णत: या अंशत: परिनिर्माण या पुन: परिनिर्माण या अधिभोग नहीं करेगा या किसी स्थल या निर्माण का प्रयोग या उसको विकसित नहीं करेगा ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्माणों के परिनिर्माण या पुन: परिनिर्माण और स्थलों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी, और ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(क) निर्माण करने का नोटिस और निर्माण और स्थल रेखांकों सहित निर्माण आवेदनों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;

(ख) स्थल का प्रयोग और निर्माण का प्रकार तथा विशिष्टता और ऐसी स्वत: पूर्ण इकाइयों की संख्या, जो किसी स्थल पर परिनिर्मित की जा सकेंगी;

(ग) स्थल क्षेत्र का परिमाण और निर्माणों के चारों ओर की जगह और निर्माण रेखा का निर्धारण;

(घ) निर्माण के अलग-अलग प्रयोजनों के लिए अभिकल्पित विभिन्न भागों के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयाम और पृष्ठीय क्षेत्र और संवातन तथा वायु संचरण सुनिश्चित करने के लिए दरवाजों और खिड़कियों की न्यूनतम व्यवस्था;

(ङ) किसी निर्माण की अधिकतम ऊंचाई और निर्माण की मंजिलों की कुल संख्या और ऊंचाई;

(च) अग्नि निवारण के लिए किसी भवन में प्रवेश और उससे बाहर जाने के लिए साधन, जिनकी व्यवस्था की जानी है;

(छ) निर्माण की विभिन्न इकाइयों पर वास्तु शिल्पीय नियंत्रण की सीमा और ऐसी वास्तु शिल्पीय इकाइयों के प्रभाग, जिनके अन्तर्गत ऐसी अनिवार्य निर्माण रेखा जिसके साथ-साथ और अनिवार्य ऊंचाई, जिस तक निर्माण किसी विनिर्दिष्ट तथा युक्तियुक्त समय के भीतर पूरा किया जाएगा;

(ज) संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी निर्माण के लिए सामग्री और आयामों का विनिर्देश;

(झ) जल निकास और मल निकास प्रणाली के सन्निर्माण की सामग्री और ढंग तथा निजी और लोक जल निकास और मल निकास प्रणालियों

के बीच संबन्धन की व्यवस्था और प्रयोग तथा रेखांक प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया;

(ञ) किन्हीं निर्माणों की अभिकल्पना और परिनिर्माण के लिए पर्यवेक्षक और वास्तुकार और वे अर्हताएं, जो ऐसे व्यक्ति रखेंगे;

(ट) निर्माणों या उनके भाग की सम्पूर्ति का नोटिस और प्रमाण-पत्र;

(ठ) स्थलों के उचित प्रयोग तथा विकास के लिए कोई अन्य विषय और उन पर निर्माणों का प्रयोग, परिवर्तन और परिनिर्माण।

प्रशासक की निर्माणों के परिनिर्माण/पुनःपरिनिर्माण या रेखांक में उपांतरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति और स्वीकृति की उपधारणा।

6. (1) प्रशासक, धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में, किसी निर्माण के परिनिर्माण, पुनःपरिनिर्माण या रेखांक में उपांतरण की स्वीकृति देने से इन्कार करेगा।

(2) प्रशासक प्रत्येक मामले में, किसी निर्माण के आवेदन-पत्र की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उसकी स्वीकृति या उपान्तरण या अस्वीकृति, संसूचित करेगा।

(3) जहां उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आवेदक को प्रशासक से कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती, वहां आवेदन पत्र स्वीकृत समझा जाएगा तथा आवेदक प्रशासक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने के पश्चात् उसके द्वारा प्रशासक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए निर्माण आवेदन के अनुसार निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण कर सकेगा, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता हो:

परन्तु जब प्रशासक, ऐसे पन्द्रह दिन के भीतर निर्माण आवेदन को उपान्तरित करता है और आवेदक को उपांतरण संसूचित करता है, तो आवेदक ऐसे उपान्तरण के अनुसार निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करेगा।

प्रशासक की, अनाधिकृत निर्माण कार्य को रोकने की शक्ति तथा भंग और अवज्ञा के लिए शास्ति।

7. जहां किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण, स्वीकृति के बिना प्रारम्भ किया गया है, या इस प्रकार या किसी स्वीकृति के निबंधनों के उल्लंघन में जारी रखा जा रहा है, वहां प्रशासक, स्वामी पर तामील कराए जाने वाले नोटिस द्वारा या उसे स्थल या निर्माण पर चिपका कर निर्दिष्ट कर सकेगा कि निर्माण संक्रियाएं रोक दी जाएं।

प्रशासक की, किसी निर्माण के पूर्ण होने से पूर्व उसके स्वीकृत रेखांक में उपान्तरण करने का निदेश देने की शक्ति।

8. यदि किसी ऐसे निर्माण के, जिसका परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण धारा 6 के अधीन स्वीकृत किया गया है, पूर्ण होने के पूर्व किसी समय प्रशासक को पता चलता है कि स्वीकृत रेखांक में कोई उपांतरण आवश्यक है तो वह ऐसे उपांतरण के कारण स्वामी को हुई किसी हानि के लिए राज्य सरकार द्वारा, प्रतिकर के संदाय के अधीन रहते हुए, निर्माण को तदनुसार उपान्तरित करने का निदेश दे सकेगा।

स्वीकृति की तारीख से, एक वर्ष के पश्चात्, स्वीकृति का समाप्त होना।

9. किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण के लिए दी गई या दी हुई समझी गई प्रत्येक स्वीकृति ऐसी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के लिए या ऐसी दीर्घतर कालावधि के लिए विधिमान्य होगी, जैसी प्रशासक अनुज्ञात करे :

परन्तु यदि एक वर्ष के भीतर निर्माण का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण प्रारम्भ नहीं किया जाता है और दो वर्ष या ऐसी दीर्घतर कालावधि के भीतर, जिसकी अनुज्ञा दी गई हो, पूर्ण नहीं किया जाता तो स्वीकृति समाप्त समझी जाएगी, किन्तु ऐसी समाप्ति स्वीकृति के लिए किसी पश्चात्वर्ती आवेदन को वर्जित नहीं करेगी।

स्थल या निर्माण के उचित अनुरक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति।

10. यदि प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या निर्माण की दशा या उसका प्रयोग, नए मण्डी नगर क्षेत्र के किसी भाग की उचित योजना पर या उसकी सुखसुविधाओं पर, या जन-साधारण के स्वास्थ्य या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो वह स्थल या निर्माण के अन्तरिति या अधिभोगी पर यह अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील कर सकेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर ऐसे कदम उठाए, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा तत्पश्चात् उसका ऐसी रीति में अनुरक्षण करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

सुखसुविधाओं के लिए फीसों का उद्ग्रहण।

11. नए मण्डी नगर क्षेत्र में किसी सुखसुविधा की व्यवस्था, अनुरक्षण या उसे बनाए रखने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार किसी स्थल या निर्माण के बारे में उसके अन्तरिती या अधिभोगी से ऐसी फीसें उद्गृहीत कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

शास्ति का अधिरोपण।

12. जहां कोई अन्तरिती या अधिभोगी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी फीस के उद्ग्रहण का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है और ऐसा व्यतिक्रम देय तारीख से तीन मास तक लगातार होता है तब, बकाया के अलावा उस राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि, यथास्थिति, अन्तरिति या अधिभोगी से शास्ति के रूप में वसूल की जाएगी।

बकाया की वसूली का ढंग।

13. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन देय किसी राशि के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, शास्ति सहित, बकाया, यदि कोई है, यथास्थिति, अन्तरिति या अधिभोगी से भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।

अन्तरण की शर्तों के भंग के लिए समपहरण।

14. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक किसी स्थल या निर्माण को पुनःग्रहण कर सकेगा यदि, अन्तरिति या अधिभोगी जिस प्रयोजन के लिए ऐसे स्थल या निर्माण का विक्रय किया गया है, पट्टे पर दिया गया है या अन्तरित किया गया है, प्रयोग करने में लगातार असफल रहता है या अनुमत की गई कालावधि के अन्दर स्थल निर्माण करने में असफल रहता है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन देय ऐसे स्थल या निर्माण का विक्रय मूल्य या पट्टा राशि संदत्त करने में असफल रहता है।

(2) किसी स्थल या निर्माण के ऐसे पुनःग्रहण की दशा में, ऐसे स्थल या निर्माण के बारे में संदत्त या जमा कोई राशि भी समपहृत की जा सकेगी :

परन्तु व्यतिक्रमी को इसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिए बिना, इस अधिनियम के अधीन पुनःग्रहण का आदेश या राशि को समपहृत करने का आदेश नहीं दिया जा सकेगा।

(3) पुनःग्रहण किया गया स्थल या निर्माण, यथास्थिति, नीलामी द्वारा पुनः विक्रय से हुई किसी हानि, जो उप-धारा (2) के अधीन समपहृत राशि से भी पूरी नहीं होती है, ऐसे व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के भंग के लिए शास्ति।

15. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें ऐसा उल्लंघन प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन में, किसी निर्माण का प्रारम्भ, परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण किया जाता है, तो प्रशासक उसके स्वामी पर ऐसे प्रारम्भ, परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के छः मास के भीतर लिखित नोटिस की तामील करके उस निर्माण को परिवर्तित या विध्वंस किए जाने का आदेश देने के लिए सक्षम होगा। ऐसे नोटिस में पन्द्रह दिन से अन्यून की ऐसी अवधि भी विनिर्दिष्ट होगी, जिसके भीतर ऐसा परिवर्तन या विध्वंस अवश्य किया जाना चाहिए, और यदि नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्रशासक उक्त निर्माण को स्वामी के व्यय पर विध्वंस करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु प्रशासक, ऐसे किसी निर्माण के परिवर्तन या विध्वंस की अपेक्षा करने के स्थान पर, प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि स्वीकार कर सकेगा, जिसे वह युक्तियुक्त समझे।

अपील और पुनरीक्षण।

16. (1) धारा 6,9,10,14 या धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन, प्रशासक के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे संसूचना की तारीख से, तीस दिन के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक द्वारा समय के भीतर अपील दायर करने से निवारित रहा था, तो वह तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा :

परन्तु यह और कि आदेशों की प्रतियां अभिप्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि की कटौती सम्बन्धित भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1863 (1863 का 36) अन्तर्विष्ट उपबन्ध, परिसीमा काल की संगणना करने में लागू होंगे।

(2) आयुक्त, अपील की सुनवाई के पश्चात्, अपीलाधीन आदेश को, पुष्ट, परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है और ऐसे आदेश कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) वित्तायुक्त, आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस निमित्त कोई आवेदन प्राप्त होने पर आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में समाधान करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे आदेश की किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख मंगवा सकेगा जिसमें प्रशासक या आयुक्त ने कोई आदेश दिया है, और उनके सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु वित्तायुक्त, इस उप-धारा के अधीन किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं देगा ।

निर्माणों या भूमि में प्रवेश की शक्तियां ।

17. (1) प्रशासक, अधिभोगी को या यदि कोई अधिभोगी न हो, तो सम्बद्ध निर्माण या भूमि के स्वामी को, चार दिन का नोटिस देने के पश्चात् किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :—

(क) किसी निर्माण या भूमि पर प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण करने और उसका तलमापन या माप लेने;

(ख) किसी निर्माण में या किसी भूमि पर, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि प्रवेश करना, क्या किसी निर्माण का पुनर्निर्माण, स्वीकृति के बिना या किसी स्वीकृति या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में, किया जा रहा है या किया गया है और ऐसे माप लेने जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में अनुध्यात प्रवेश, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच होगा ।

नए मण्डी नगर क्षेत्रों में, नगरपालिकाओं, पंचायतों और नगर विकास न्यासों की अधिकारिता का आंशिक अपवर्जन ।

18. (1) यदि कोई नया मण्डी नगर क्षेत्र या उसका कोई भाग किसी नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत क्षेत्र या पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैन्ट ऐक्ट, 1922 (1922 का 4) के अधीन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) या पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैन्ट ऐक्ट, 1922 (1922 का 4) के अधीन कोई या सभी शक्तियां, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से सुसंगत हैं, ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे नए मण्डी नगर क्षेत्र या उसके किसी भाग में प्रवृत्त नहीं रहेंगी, और, यथास्थिति, नगरपालिका, समिति, ग्राम पंचायत या नगर अभिवृद्धि न्यास के प्रधान या किसी अन्य अधिकारी की, यथास्थिति, उस नए मण्डी नगर क्षेत्र या उसके किसी भाग पर तत्पश्चात् ऐसी शक्तियों के बारे में अधिकारिता नहीं रहेगी ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) और पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैन्ट ऐक्ट, 1922 (1922 का 4) के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हैं, किसी नए मण्डी नगर क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होंगे ।

अभियोजन के लिए प्रक्रिया ।

19. कोई भी न्यायालय, प्रशासक या इस निमित्त उस के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के परिवाद के बिना या उससे प्राप्त सूचना के बिना किसी अपराध का धारा 15 के अधीन संज्ञान नहीं करेगा ।

न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

20. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी कोई आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं होगा ।

सद्भाव-पूर्वक की गई कार्य-वाही के लिए संरक्षण।

21. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए प्रशासक या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

प्रत्यायोजन।

22. (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी कि उसके द्वारा या प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी जो किसी नायब-तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(2) प्रशासक, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों में से सभी या किसी को, राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो नायब-तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो, या किसी अन्य प्राधिकारी को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

अधिनियम के लागू होने से कतिपय नए मण्डी नगर क्षेत्रों को अपवर्जित करने की शक्ति।

23. यदि राज्य सरकार की राय है कि किसी नए मण्डी नगर क्षेत्र का विकास करना लोकहित में नहीं है, तो वह अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे नए मण्डी नगर क्षेत्र को, ऐसी तारीख से लागू नहीं रहेंगे, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

पूर्णतः विकसित नए मण्डी नगर क्षेत्रों को स्थानीय प्राधिकरणों की सीमाओं में सम्मिलित करने की शक्ति।

24. यदि राज्य सरकार की यह राय है कि कोई नया मण्डी नगर क्षेत्र या उसका कोई भाग, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार पूर्णतः विकसित किया जा चुका है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नए मण्डी नगर क्षेत्र या उसके किसी भाग को किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी तारीख को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित कर सकेगी और तदुपरि, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, ऐसे नए मण्डी क्षेत्र या उसके भाग को लागू नहीं रहेंगे और ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के बारे में उस समय प्रवृत्त विधि के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होंगे ।

कतिपय विक्रयों का इस अधिनियम के अधीन विक्रय समझा जाना।

25. पंजाब न्यू मण्डी टाऊनशिप (डिवैल्पमेन्ट एण्ड रैगुलेशन) ऐक्ट, 1960 (1960 का 2) के अधीन किसी व्यक्ति को भूमि का किया गया प्रत्येक विक्रय या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों के बारे में, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया विक्रय समझा जाएगा, और ऐसे नए मण्डी नगर क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के समस्त उपबन्ध उसके बारे में तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु ऐसे नियम या आदेश ऐसे निबन्धनों और शर्तों से असंगत नहीं होंगे, जिन पर ऐसा विक्रय पहले ही किया जा चका हो ।

नियम बनाने की शक्ति ।

26. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों को विहित करती हुई, नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात हैं या जो इस अधिनियम को कार्यान्वित या प्रभावी करने के लिए आवश्यक या सुविधापूर्ण हैं और जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित विहित हों :—

(क) निबन्धन और शर्तें, जिन पर इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी भूमि या निर्माण का अन्तरण किया जा सकेगा ;

(ख) रीति, जिसमें अन्तरण के लिए प्रतिफल धन संदत्त किया जा सकेगा ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज की दर और संदेय किस्तों, ब्याज, फीसों, किरायों या अन्य देयों के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(घ) निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन किसी स्थल या निर्माण में किसी अधिकार का अन्तरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(ङ) धारा 11 के अधीन फीस का उद्ग्रहण ;

(च) निबंधन और शर्तें, जिनके भंग के लिए किसी स्थल या निर्माण का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा ;

(छ) नोटिस का प्ररूप और रीति, जिसमें नोटिसों की तामील की जा सकती है ;

(ज) प्ररूप और रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपीलें और आवेदन पत्र दायर किए जा सकेंगे और ऐसी अपीलों और आवेदन पर उद्ग्रहणीय न्यायालय फीसें ; और

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित करना पड़े या जिसे विहित किया जा सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों म पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से, उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां।

27. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब न्यू मण्डी टाऊनशिप (डिवैल्पमैन्ट एण्ड रैगुलेशन) ऐक्ट, 1960 (1960 का 2) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई, बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना, उस विस्तार तक जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई, बनाए गए या जारी की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त हो गया था जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी या नियम बनाए गए थे या अधिसूचना जारी की गई थी।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।